

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**॥ अधिसूचना ॥**

पटना-15, दिनांक- 17/10/2023

संख्या-14/प्रो-804/2023- 19518 /सा०प्र०- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-14) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:-


क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2023 के अनुसार)	वर्तमान कोटि
1	2	3	4
1	श्री उदय प्रताप सिंह, पटना	1	संयुक्त सचिव
2	श्री सुशील कुमार, औरंगाबाद	2	अपर सचिव
3	श्री कंचन कपूर, नालंदा	3	संयुक्त सचिव
4	श्री महफूज आलम, औरंगाबाद	7	उप सचिव
5	श्री उपेन्द्र प्रसाद, औरंगाबाद	12	अपर समाहर्ता
6	श्री हरिनारायण पासवान, सहरसा,	14	अपर समाहर्ता
7	श्री किशोरी चौधरी, नवादा	15	अपर समाहर्ता
8	श्री पुरुषोत्तम पासवान, दरभंगा	16	अपर समाहर्ता
9	श्री उज्ज्वल कुमार सिंह, भागलपुर	19	अपर समाहर्ता
10	श्री विनय कुमार राय, भोजपुर	20	अपर समाहर्ता
11	श्री नरेश झा, पटना	24	अपर समाहर्ता
12	श्री रजनीकान्त, नालंदा	25	अपर समाहर्ता
13	श्री रमण कुमार सिन्हा, बेगूसराय	26	अपर समाहर्ता
14	श्री अमरेन्द्र शाही, पटना	27	अपर समाहर्ता

1/10/23

15	श्री संजय कुमार, बेगूसराय	29	अपर समाहर्ता
16	श्री शशांक शेखर सिन्हा, जहानाबाद	30	अपर समाहर्ता
17	श्री सुधीर कुमार, पटना	31	मूल कोटि
18	श्री मुकेश कुमार सिन्हा, पटना	32	अपर समाहर्ता
19	श्री शत्रुंजय कुमार मिश्र, भोजपुर	34	अपर समाहर्ता
20	श्री नौशाद अहमद, गोपालगंज	35	अपर समाहर्ता


- यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अधीन है।
- उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-14) में उत्क्रमित किया जाता है।
- उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से विशेष सचिव एवं समकक्ष स्तर के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
( जगदीश कुमार )

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक-14/प्रो०-804/2023- 19518 /सा०प्र० पटना-15, दिनांक- 17/10/2023  
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई०टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई० टी०, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं चारित्री कोषांग (बि०प्र०से०), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव ।